को प्रदान किए गए वार्षिक रखरखाव अनुदान का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1991-92 . .	3603.60
1992-93 . .	4119.47
1993-94 . .	5628.09

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार यदि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी साहित्य का उर्दू में अनुवाद करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो आयोग उस पर विचार करेगा और विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा बशर्ते कि राशि उपलब्ध हो ।

(ङ) अतिक्रमण की गई संपत्ति का मूल्य तब पता चलेगा जब समिति, जिसमें विधिवेत्ता और ओल्ड बॉयज़ हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

जामिया मिलिया इस्लामिया का आधुनिकीकरण और विस्तार

1625. **मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामिया मिलिया इस्लामिया के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) जामिया मिलिया इस्लामिया को इस समय प्रतिवर्ष कितनी धन राशि प्रदान की जा रही है और क्या सरकार इसे बढ़ाने का विचार रखती है ; और

(ग) जामिया की संपत्ति के अतिक्रमण को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें कितनी सफलता मिली है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जामिया मिलिया इस्लामिया तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, आयोग ने आठवीं योजना के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के विकास, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 1057.00 लाख रु० की राशि आवंटित की थी । आयोग ने 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 707.03 लाख रु०, 888.32 लाख रु० तथा 939.78 लाख रु० का वार्षिक अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया है । इसके अलावा आयोग अन्य विकास कार्यक्रमों जैसे विशेष सहायता कार्यक्रम, डी० एस० ए०, सी० एस० ए० इत्यादि के लिए सहायता प्रदान करता है । जामिया मिलिया इस्लामिया को दिए जाने वाले अनुदानों में बढ़ोत्तरी विश्वविद्यालय की आवश्यकता तथा सरकार के पास निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

(ग) जामिया मिलिया इस्लामिया के अनुसार, विश्वविद्यालय ने अतिक्रमण की समस्या से निपटने तथा जामिया की संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक वरिष्ठ परामर्शदाता नियुक्त किया है । जामिया की संपत्ति पर अतिक्रमण हटाने के लिए पी० पी० अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई शुरु कर दी गई है । विश्वविद्यालय ने 13 मामलों में अतिक्रमण हटाने में सफलता प्राप्त कर ली है । गत दो वर्षों के दौरान जामिया की भूमि पर किसी अतिक्रमण की सूचना नहीं मिली है ।

स्नातकोत्तर शिक्षकों की पदोन्नति

1626. **श्री शिवचरण सिंह :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री राज्य सभा में 18 मार्च, 1994 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3407 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले 625 पदों को भर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विषयों के इन पदों पर पदोन्नत किए गए शिक्षकों की संख्या कितनी है और उन्हें किन-किन स्कूलों में तैनात किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के आधार पर चालू शैक्षिक वर्ष में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षको के पदों की प्रोन्नति के लिए 592 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षको (टी०जी०टी०) की पात्र पाया गया है । इसलिए 2-8-94 तक 181 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षको को प्रोन्नति के अवसर प्रदान किए गए और उन्हें 170 केन्द्रीय विद्यालयों में तैनात किया गया ।

गुजरात में बाल विकास कार्यक्रम

1627. श्री अन्नतराय देवशंकर दवे: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्रीय और विदेशी सहायता से चलाए जा रहे बाल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन कार्यक्रमों पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी):(क) से (ग) गुजरात राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख बाल विकास कार्यक्रम इस प्रकर हैं :-

1. समेकित बाल विकास सेवा स्कीम ;
2. बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम ;
3. कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह ;
4. अवकाश शिविर ;
5. बाल उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम ; और
6. अनौपचारिक शिक्षा स्कीम ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्ष 1994-95 के लिए निर्मुक्त की गई राशि, प्रति परियोजना/एकक औसत लाभ प्राप्तकर्ताओं तथा परियोजनाओं/एककों की संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया हैं (**नीचे** देखिए) ।

इसके अलावा, प्रारंभिक और उच्च प्राथमिक स्कूल-शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए गुजरात सरकार को वर्ष 1991-92 से वर्ष 1993-94 तक के दौरान 1832.14 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। राष्ट्रीय बाल निधि से वर्ष 1994-95 के दौरान गुजरात के एक स्वैच्छिक संगठन को बाल विकास के लिए नवीन योजनाएं शुरु करने हेतु 46,980 रु० की राशि भी मंजूर की गई है ।

गुजरात में 1993-94 से निराश्रित बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम शुरु किया गया है । 1993-94 के दौरान 3 परियोजनाओं के लिए, जिनसे 900 बच्चों को लाभ पहुंचा, 8.06 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई । वर्ष 1994-95 के लिए पांच परियोजनाओं हेतु, जिनसे 1500 बच्चे लाभान्वित होंगे, 29.60 लाख रुपए निर्मुक्त करने का प्रस्ताव है ।